भारत सरकार

व ध और याय मं ालय

याय वभाग

लोक सभा

अतारां कत सं. 327

जिसका उ तर गु वार, 25 फरवर , 2016 को दया जाना है

**न:शु क व धक सहायता**

**327. मोह मद फैज़ल :**

**ी दु यंत चौटाला :**

**ी आरो पा थ पन :**

**एडवोकेट जोएस जॉज :**

या **व ध और याय** मं ी यह बताने क कृपा कर गे क:

(क) देश म समाज के गर ब और कमजोर वग को न:शु क व धक सहायता दान करने के काय म लगे ा धकरण / सं थाओं का यौरा या है ;

(ख) या सरकार रा य व धक सेवा ा धकरण (एनोएएलोएसोए) स हत इन ा धकरण / सं थाओं को सु ढ़ बनाने पर वचार कर रह है और य द हां, तो त संबंधी यौरा या है ;

(ग) पछले तीन व म येक वष और चालू वष के दौरान इसके लए आबं टत और जार न ध तथा एनएएलएसए स हत इन ा धकरण / सं थाओं वारा उपयोग क गई धनरा श का रा य / संघ रा य -वार यौरा या है ;

(घ) या एनएएलएसए स हत इन ा धकरण / सं थाओं के काय करण / काय न पादन क नगरानी करने के लए सरकार के पास कोई तं है ता क इस कार आवं टत न धय का समु चत उपयोग सु न चित कया जा सके तथा अं तम यो ताओं वशेषकर वचाराधीन कै दय , यौन उ पीड़न / ाकृ तक आपदा पी ड़त को मदद करने के लए व भ न काय म का बेहतर और कारगर काया वयन सु न चित कया जा सके ; और

(ङ) य द हां, तो त संबंधी यौरा या है और य द नह ं, तो इस संबंध म सरकार वारा या कदम उठाए गये/जा रहे ह ?

**उ तर**

**व ध और याय मं (ी डी.वी. सदानंद गौड़ा)**

**(क) और (ख) :** व धक सेवा ा धकरण अ ध नयम, 1987 वारा अ ध नयम क धारा 12 के अधीन पा य ि तय को न:शु क व धक सेवाएं दान करने के लए सभी तर

पर तालुका यायालय से उ चतम यायालय तक व धक सेवा सं थाएं था पत क गई ह । जिसके अंतग त रा य व धक सेवा , ाधकरण यायालय क व धक सेवा स म ,तउ च यायालय क व धक सेवा स म त,रा य व धक सेवा ा धकरण,जिला व धक सेवा स म तयां और ुकाल व धक सेवा स म त भी है । ु नःशुक व धक सेवाओं म यायालय ुशक का संदाय,अ धव ता उपल ध कराने और पेपर काय को तैयार करना इ या द स म लत है ।

रा य् धक सेवा ा धकरण ने रा य व धक सेवा ( न:शु क और स म व धक सेवाएं) व नयम,2010 अ धसूचत कया है जो उपरो त गर ब और समाज के कमजोर वग जैसे क अनुसू चत जा त,अनुसू चत जनजा त के सद य, म हलाओं, बालक इ या द को ुन:शु क व धक सहायता दान करता है । व धक सेवा सं थाएं उन सभी य तय जो व धक सेवाएं ा त करने के लए आवेदन करता है, और से यायालय के मामले म अ भयोजन अथवा तर ा के लए सभी तर पर जिसके अ तग त उ च यायालय और उ चतम यायालय भी ह, व धक सहायता मामल के लए अ धव ता पैनल वक ल नयुत करती है ।

(ग) रा य व धक सेवा ा धकरण (एन ए एल एस ए), व धक सेवा ा धकरण अ ध नयम,1978 क धारा 4 के अधीन व भ न व धक सेवा याकलाप को करने के लए भारत सरकार ( व ध और याय मं ालय) से न धयां ा त करता है, एन ए एल एस ए को पछले तीन वष के दौरान अथा त 2012-13, 2013-14, 2014-15 और वत मान व तीय वष 2015-16 के लए आबं टत न ध न ल खत है